"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351] रायपुर, शनिवार दिनांक 31 दिसम्बर 2011—पौष 10, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 14/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/1940.—दिनांक 19 दिसम्बर 2011 को नगर पंचायत सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर, छ.ग. के 04 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-14/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. पुनीतराम पवन साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर, छ.ग.
2. विनोद साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर, छ.ग.
3. श्रीकांत यादव, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर, छ.ग.
4. शिवशंकर श्रीवास, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर, छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 19 दिसम्बर 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर के प्रतिवेदन दिनांक 02 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत सिरगिट्टी के अध्यक्ष पद के लिये दिसंम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 8 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 15 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत सिरगिट्टी के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों पुनीतराम पवन साहू, विनोद साहू, शिवशंकर श्रीवास एवं श्रीकांत यादव द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त अभ्यर्थियों पुनीतराम पवन साहू, विनोद साहू एवं श्रीकांत यादव को दिनांक 6 मार्च 2010 को तथा विलंब से प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी शिवशंकर श्रीवास को दिनांक 14 अक्टूबर 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी पुनीतराम पवन साहू को दिनांक 18 मार्च 2010 को, विनोद साहू को 31 मार्च 2010 को, श्रीकांत यादव को 1 अप्रैल 2010 तथा शिवशंकर श्रीवास को 19 अक्टूबर 2010 को तामील की गई. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थियों विनोद साहू, शिवशंकर श्रीवास एवं श्रीकांत यादव को विधिवत् तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है. तदनुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. अभ्यर्थी पुनीतराम पवन साहू ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का जवाब मय चिकित्सा प्रमाण पत्र 12 अप्रैल 2010 को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि चुनाव सम्पन्न होने के तुरंत पश्चात् दिनांक 28 दिसम्बर 2009 से 25 मार्च 2010 तक पीलिया रोग से ग्रसित हो जाने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे जिसके लिए क्षमा चाहा गया.

4. अभ्यर्थी पुनीतराम पवन साहू द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर ने अपने ज्ञापन क्रमांक 959 दिनांक 09 अगस्त 2010 में यह उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी पुनीतराम पवन साहू द्वारा निर्धारित अवधि के उपरान्त विलम्ब से दिनांक 6 अप्रैल 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है. इसका कारण पीलिया रोग से ग्रस्त होना बताया गया है. अभ्यर्थी अस्वस्थ रहने की दशा में अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में दाखिल कर सकता था. प्रावधानों की जानकारी होने के बावजूद भी अभ्यर्थी पुनीतराम पवन साहू ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि के पश्चात् दाखिल किया है अतएव इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे.

5. अभ्यर्थी पुनीतराम पवन साहू को उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर के द्वारा दिये गये अभिमत के सन्दर्भ में प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. इस हेतु निर्धारित सुनवाई तिथि 3 अगस्त 2011 को सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहे. अंतएव अभ्यर्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया.

6. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों पुनीतराम पवन साहू, विनोद साहू, शिवशंकर श्रीवास एवं श्रीकांत यादव ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

7. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बिलासपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत सिरगिट्टी के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों विनोद साहू, शिवशंकर श्रीवास एवं श्रीकांत यादव ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. इसी प्रकार अभ्यर्थी पुनीतराम पवन साहू ने यद्यपि जवाब प्रस्तुत किया किन्तु उनके द्वारा 6 अप्रैल 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया गया. स्पष्टतः निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि के उपरान्त विलम्ब से दाखिल किया गया. अभ्यर्थी पुनीतराम पवन साहू ने अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वे दिनांक 28 दिसम्बर 2009 से 25 मार्च 2010 तक पीलिया रोग से ग्रस्त होने के कारण अस्वस्थ थे तथा इस कारण निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहे. जवाब के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है. किन्तु इन्हें इस संबंध में प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर दिये जाने पर भी दिनांक 3 अगस्त 2010 को सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहे जिसके कारण इनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र का परीक्षण एवं अतिरिक्त साक्ष्य लेना संभव नहीं हो सका. इसके अलावा उनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी दिनांक 25 मार्च 2010 को स्वस्थ हो गये थे फिर भी निर्वाचन व्यय लेखा तत्काल दाखिल नहीं करते हुए विलंब से दिनांक 6 अप्रैल 2010 को दाखिल किया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने भी अपने ज्ञापन दिनांक 9 अगस्त 2010 में अभिमत दिया है कि अभ्यर्थी अस्वस्थता की दशा में अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करा सकते थे. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने के संबंध में अभ्यर्थी पुनीतराम पवन साहू द्वारा विशेष रुचि नहीं ली गई. अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थियों पुनीतराम पवन साहू, विनोद साहू, शिवशंकर श्रीवास एवं श्रीकांत यादव प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों पुनीतराम पवन साहू, विनोद साहू, शिवशंकर श्रीवास एवं श्रीकांत यादव को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित

कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से चार साल की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 19 दिसम्बर 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.